न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(डॉ सौम्या झा,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 76 / 2021
प्रविष्टि दिनांक 20.12.2021

1–जगदीश पुत्र रामचन्द्र मीना निवासी अरनियामाल तहसील व जिला टोंक राज0
2–बजरंगलाल पुत्र रामचन्द्र मीना निवासी अरनियामाल तहसील व जिला टोंक राज0
3–शशी कपूर पुत्र रामचन्द्र मीना निवासी अरनियामाल तहसील व जिला टोंक राज0
4–**सम्मान सिंह** पुत्र रामचन्द्र मीना निवासी अरनियामाल तहसील व जिला टोंक राज0
5–ग्यारसीलाल पुत्र शकंरलाल मीना निवासी अरनियामाल तहसील व जिला टोंक राज0
6–रामकिशन पुत्र शकंरलाल मीना निवासी अरनियामाल तहसील व जिला टोंक राज0

–अपीलान्ट्स

बनाम

1–रामफूल पुत्र गंगाबिशन जाति मीणा निवासी देवरी तहसील उनियारा जिला टोंक राज0
2–मदन पुत्र गंगाबिशन जाति मीणा निवासी देवरी तहसील उनियारा जिला टोंक राज0
3–कमला पुत्री गंगाबिशन जाति मीणा निवासी देवरी तहसील उनियारा जिला टोंक राज0
4–दाखा पुत्री गंगाबिशन जाति मीणा निवासी देवरी तहसील उनियारा जिला टोंक राज0
5–फूला पुत्री गंगाबिशन जाति मीणा निवासी देवरी तहसील उनियारा जिला टोंक राज0
6–तहसीलदार टोंक

–रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 1681 दिनांक 11.10.2021 वाके ग्राम अरनियामाल तहसीलदार टोंक

उपस्थिति –(1) श्री सीताराम विजय, अभिभाषक अपीलान्ट्स
(2) श्री शिवराज टाण्डी,अभिभाषक अपीलांट्स
(2) श्री रामेश्वर गुर्जर,अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता. 5

निर्णय **दिनांक 24.09.2024**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि तहसीलदार टोंक द्वारा दिनांक 11.10.2021 को मृतक खातेदार गंगाबिशन पुत्र शोचन्दा जाति मीना साकिन देह की विरासत का नामान्तरकरण सं0 1681 दिनांक 11.10.2021 वाके ग्राम अरनियामाल कमला,दाखा,फूला पुत्रिया गंगाबिशन,मदन,रामफूल पुत्र गंगाबिशन जाति मीणा साकिन देह खातेदार के नाम तस्दीक किया गया है। अपीलान्ट्स ने तहसीलदार टोंक के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

जिला कलेक्टर
टोंक

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट्स जरिए नोटिस की गई। विवादित नामान्तरकरण की मूल प्रति मंगवाई गई तथा प्रकरण में अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलांट्स के अभिभाषक ने अपनी बहस मे अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि भूमि खसरा नम्बर 1435 रकबा 0.3794 है.खसरा नम्बर 1585 रकबा 0.7461 है.खसरा नम्बर 174 रकबा 0.0885 है.खसरा नम्बर 21 रकबा 1.9475 है.खसरा नम्बर 243 रकबा 0.7588 है.खसरा नम्बर 25 रकबा 0.8979 है.खसरा नम्बर 780/1 रकबा 0.3162 है.खसरा नम्बर 780/3 रकबा 1.5302 है.खसरा नम्बर 817 रकबा 0.9358 है. खसरा नम्बर 966 रकबा 1.2014 है.खसरा नम्बर 976 रकबा 1.5176 है.कुल किता–11 कुल रकबा 10.3194 हैक्टेयर वाके ग्राम अरनियामाल तहसील टोंक हाल राजस्व रिकार्ड मे गंगाबिशन पुत्र शोचन्दा जाति मीना निवासी अरनियामाल तहसील व जिला टोंक की खातेदारी मे अंकित भूमि है। भूमि खसरा नम्बर 1003 रकबा 0.2700 है.खसरा नम्बर 1006 रकबा 0.3900 है.खसरा नम्बर 1008 रकबा 0.7600 है.खसरा नम्बर 1020 रकबा 0.2700 है. खसरा नम्बर 622 रकबा 1.3100 है.खसरा नम्बर 803 रकबा 0.2100 है.खसरा नम्बर 920 रकबा 0.5600 है.खसरा नम्बर 923 रकबा 0.2800 है.खसरा नम्बर 924 रकबा 0.1900 है. खसरा नम्बर 926 रकबा 0.3600 है.खसरा नम्बर 998 रकबा 0.8700 है.कुल किता–11 कुल रकबा 5.4700 हैक्टेयर वाके ग्राम देवरी तहसील उनियारा जिला टोंक में स्थित है,जो रेस्पोडेण्टस सं.1 ता. 5 की खातेदारी में अंकित भूमि है,उक्त भूमि उन्हे उनके पिता गंगाबिशन पुत्र माधो जाति मीणा निवासी ग्राम देवरी तहसील उनियारा जिला टोंक के फौत होने पर बतौर वारिस रेस्पोडेण्टस की खातेदारी मे अंकित हुई है। इस प्रकार रेस्पोडेण्टस स्व. गंगाबिशन पुत्र माधो जाति मीणा निवासी ग्राम देवरी तहसील उनियारा के पुत्र–पुत्रियां व वारिसान है। अपीलाण्टस के पूर्वज व पिता रामचन्द्र पुत्र नारायण थे,जिनका स्वर्गवास दिनांक 02.07.2003 को हो चुका था,उस समय उनकी उम्र लगभग 70 वर्ष थी।रामचन्द्र के पिता नारायण पुत्र नेनू के दो लडके रामचन्द्र व शंकरलाल है,जिनमे से रामचन्द्र अपील के चरण सं.1 में अंकित आराजीयात का खातेदार गंगाबिशन पुत्र शोचन्दा के लाऔलाद होने से जब रामचन्द्र 15 वर्ष लगभग का था, बतौर दत्तक पुत्र गोद चला गया था यानि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रभाव में आने से पूर्व ही गोद चला गया था तथा अपील के चरण सं.1 मे अंकित आराजीयात पर तत्समय से ही, यानि सन् 1955 से पूर्व से ही अपने पिता गंगाबिशन के साथ अपील के चरण सं.1 में अंकित आराजीयात को काश्त करता चला आ रहा है। उक्त आराजीयात के बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोंक के यहां उनवानी मुकदमा जगदीश लाल आदि बनाम रामफूल आदि दावा उद्घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज जेरेकार है,जिसका मु0नं0–49/2021 है। उक्त भूमि के बाबत रेस्पोडेण्टस ने तहसीलदार टोंक से मिलीभगत करके बाला–बाला अपीलाण्टस को बिना सुने दिनांक 11.10.2021 के आदेश द्वारा अपील के चरण सं.1 मे अंकित आराजीयात का दाखिल खारिज गंगाबिशन पुत्र श्योचन्दा मीणा निवासी अरनियामाल के वारिस बनकर उक्त आराजीयात को अपनी खातेदारी मे अंकित करवा ली है। अपीलाण्ट्स का उक्त आराजीयात पर उनके पिता रामचन्द्र पुत्र नारायण के समय से यानि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के लागू होने से पहले से कब्जा काश्त होने से अपीलाण्ट्स पीडित पक्षकार है। रेस्पोडेण्ट्स सं.1 ता. 5 स्व. गंगाबिशन पुत्र श्योचंदा के पुत्र–पुत्रियां नही है।दोनो व्यक्तियो की आराजीयात पृथक–पृथक नाम से है। कब्जे के बारे मे नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व कोई जांच नही की गई है। रेस्पोडेण्ट्स मृतक के विधिक वारिस नही और ना ही उनके पास सक्षम सिविल न्यायालय का वारिस प्रमाण पत्र है। तहसीलदार द्वारा नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व सुनवाई का अवसर नही दिया

जिला कलेक्टर

गया है,जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत है। अतः नामान्तकरण को निरस्त कर रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित है।

अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता. 5 ने जवाबी बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार टोंक द्वारा दिनांक 11.10.2021 को मृतक खातेदार गंगाबिशन पुत्र शोचन्दा जाति मीना साकिन देह की विरासत का नामान्तरकरण कमला,दाखा,फूला पुत्रिया गंगाबिशन,मदन,रामफूल पुत्र गंगाबिशन जाति मीणा साकिन देह खातेदार के नाम नियमानुसार तस्दीक किया गया है। माधो व शोचन्दा अलग-अलग व्यक्ति न होकर एक ही व्यक्ति है। रेस्पो.अन्य स्थान पर निवासी करने से उक्त नामान्तकरण अवैध नहीं हो सकता है। दो अलग-अलग स्थानों पर दो सम्पत्ति हो सकती है। अपीलांट्स द्वारा उक्त आराजी के संबंध मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोंक के समक्ष वाद बाबत उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज एंव स्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर रखा है। पक्षकारो के मध्य घोषणा का नियमित वाद सक्षम न्यायालय मे विचाराधीन है। अतः अपील अपीलांट्स निरस्त किया जाना न्याय संगत है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया तथा न्यायिक दृष्टान्त का गहन अध्ययन किया। नामान्तरकरण संख्या 1681 दिनांक 11.10.2021 वाके ग्राम अरनियामाल तहसील टोंक गंगाबिशन पुत्र शोचन्दा जाति मीना साकिन देह खातेदार की मृत्यु होने से विरासत का नामान्तरकरण कमला,दाखा,फूला पुत्रिया गंगाबिशन,मदन,रामफूल पुत्र गंगाबिशन जाति मीणा साकिन देह खातेदार के नाम स्वीकार किया गया है।

अभिभाषक उभयपक्ष ने नामान्तकरण संख्या 1681 दिनांक 11.10.2021 वाके ग्राम अरनियामाल मे वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 1435 रकबा 0.3794 है.खसरा नम्बर 1585 रकबा 0.7461 है.खसरा नम्बर 174 रकबा 0.0885 है.खसरा नम्बर 21 रकबा 1.9475 है.खसरा नम्बर 243 रकबा 0.7588 है.खसरा नम्बर 25 रकबा 0.8979 है.खसरा नम्बर 780/1 रकबा 0.3162 है.खसरा नम्बर 780/3 रकबा 1.5302 है.खसरा नम्बर 817 रकबा 0.9358 है.खसरा नम्बर 966 रकबा 1.2014 है.खसरा नम्बर 976 रकबा 1.5176 है.कुल किता-11 कुल रकबा 10.3194 है.वाके ग्राम अरनियामाल तहसील टोंक के संबंध मे पक्षकारान के मध्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोंक के समक्ष वाद बाबत उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज एंव स्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विचाराधीन होना माना है।

न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी 1998 पेज नं.-371 में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज. अजमेर ने अपने प्रकरण सं. 32/दौसा ऑफ 95 उनवान गुलाबी व अन्य बनाम रामजी लाल निर्णय दिनांक 10.03.1998 में अंकित हैं कि "Rajasthan Land Revenue Act, Section 135- Appeal against order of Addl. Divisional Commissioner confirming order in respect of mutation-Held khatedar "S" expired leaving behind married daughter "D"- Mutation attested in name of adopted son on basis of customary law prevelant in the community. Declaratory suit pending in the Court in respect of khatedari rights between the parties- Proceeding of mutation no. 1172, ordered to kept pending if not attested, but if already attested mutation to be cancelled- Entries to be kept in the name of "S" and mutation be attested in light of the decision of

जिला कलेक्टर

pending suit- Orders of both the courts, held erroneous. APPEAL ACCEPTED तथा उक्त निर्णय के पैरा सं. 7 में अंकित किया हैं कि –''चूंकि दोनों पक्षकारों के मध्य खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद विचाराधीन हैं अतः यह उचित हैं कि उक्त वाद के निर्णय तक नामान्तकरण सं. 1172 की कार्यवाही को स्थगित रखी जावे। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत नजीर 1995 आर.आर.डी. 120 में यह मत व्यक्त किया गया हैं कि यदि पक्षकारों के मध्य में वाद विचाराधीन हैं तो वाद के निर्णय तक नामान्तकरण की कार्यवाही स्थगित रखी जावें तथा नामान्तकरण यदि स्वीकार कर दिया गया हैं तो उसे निरस्त कर दिया जावे। राजस्व मण्डल की एकल पीठ के इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए यह अपील स्वीकार की जाती है तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को निरस्त किए जाते है तथा आदेश दिया जाता हैं कि इस प्रकरण में वादग्रस्त भूमि राजस्व अभिलेख में मृतक सुन्दर के नाम ही रहेगी तथा पक्षकारों के मध्य में जो वाद विचाराधीन हैं उसके निर्णय के अनुसार नामान्तकरण स्वीकृत करने की कार्यवाही की जावें।'' चूंकि विचाराधीन अपील में तहसीलदार टोंक द्वारा नामान्तकरण संख्या 1681 दिनांक 11.10.2021 वाके ग्राम अरनियामाल तस्दीक किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 1681 दिनांक 11.10.2021 वाके ग्राम अरनियामाल तहसील टोंक को निरस्त किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि इस अपील मे विवादग्रस्त भूमि राजस्व अभिलेख मे मृतक गंगाबिशन पुत्र शोचन्दा जाति मीना साकिन देह खातेदार के नाम ही रहेगी तथा पक्षकारो के मध्य मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोंक में प्रकरण संख्या 49/2021 उनवान जगदीश लाल वगै. बनाम रामफूल वगै.बाबत उद्घोषणा,दुरूस्ती इन्द्राज एंव स्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विचाराधीन है, उसके निर्णय अनुसार नामान्तकरण स्वीकृत करने की कार्यवाही तहसीलदार टोंक द्वारा की जावेगी। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. सौम्या झा)
जिला कलेक्टर,टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
टोंक (राजस्थान)